न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2485 / 2004 / अलवर

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

1– राजपाल पुत्र मेहरचंद
2– कुन्दन पुत्र प्रभातीलाल
जाति यादव निवासी ग्राम नरबास तहसील कोटकासिम, अलवर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक
श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–2–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट सरकार न्यायालय उपखंड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश किया। परीक्षण न्यायालय उपखंड अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 1–9–03 द्वारा खारिज कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4—2—04 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 4—2—04 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर रेस्पोडेंट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। विवादित आराजी पर वादीगण या उसके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। वादीगण द्वारा पेश मिलान क्षैत्रफल एवं राजस्व रिकोर्ड में वादग्रस्त आराजी का वर्णन नहीं है। खसरा नंबर 109 बडा रकबा होने से बंदोबसत से पूर्व ही अनेक मिन नंबरों में बंटा हुआ था। जमाबंदी संवत् 2023 अनुसार 109 मिन 3.18, 109 मिन 44 बीधा, 109 मिन 36.02 बीघा चारागाह/गोचर भूमि दर्ज है। उक्त मिन आराजी के हाल खसरा नंबर सिवायचक दर्ज है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी तनकीयों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर

वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व व लागू होने के दिन काबिज काश्तकार थे। वादीगण को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी हकूक प्रापत हो गये। परंतु भू प्रबंध विभाग ने गलत तौर पर विवादित आराजी सिवायचक दर्ज कर दी। परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी गहनता से अवलोकन किया।

8— राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वादी रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जमाबंदी संवत् 2011 के अवलोकन से जाहिर हो रहा है कि साबिक खसरा नंबर 109 रकबा 153 बीघा 15 बिस्वा किस्म पडत कदीम के भूमि धारक के कालम में शामलात पट्टी गंगासहाय हस्ब हिस्सा बिस्वांत तथा कृषक के कालम में खुदकाश्त मालकान दर्ज किया हुआ है। जमाबंदी संवत् 2015 में भी जमाबंदी संवत् 2011 की तरही ही प्रविष्टियां दर्ज की हुई है। जमाबंदी संवत् 2012 में खसरा नंबर 109 मिन रकबा 69 बीघा में 15 बिस्वा खेमचदं, प्रभाती, उमराव पुत्रान फूसा का 1/16 भाग दर्ज किया हुआ है। अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत विभिन्न खसरा परिवर्तनशील से विवादित आराजी पर वादीगण रेस्पोडेंट का अतिक्रमण एवं कब्जाकाश्त बुजुर्गो के समय से होना मानते हुये भू प्रबंध विभाग को विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं होना माना है।

9— परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वादी का वाद तनकीवार खारिज किया है तथा अपीलीय न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार करते समय तनकीवार विश्लेषण व विवेचन नहीं किया। परीक्षण न्यायालय अनुसार साबिक खसरा नंबर 109 बहुत बडा है तथा रकबा 153.18 बीघा दर्शाया हुआ है। जिसमें प्रभाती दर्ज है

किंतु वादी रेस्पोडेंट सं.2 का पिता होना अथवा न होना वादी सं.2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं किया है। वादी सं.1 के पिता मेहरचंद का नाम वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक खसरा नंबर 109 मिन के बाबत् प्रस्तुत जमाबंदी 2011, जमाबंदी 2015 या अन्य किसी भी राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किये बिना ही उपखंड अधिकारी का निर्णय खारिज कर वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री किया है। रेस्पोडेंट वादी कुन्दन अपने आपको 2011 की जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 109 मिन के काश्तकार के रूप में अंकित प्रभाती का पुत्र बताकर दावा लाया है किंतु ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जोकि इस तथ्य की पुष्टि करता हो। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2012–15 में प्रश्नगत आराजीयात प्रभाती, खेमचंद, उमराव पुत्र फूसा के नाम 65 बीधा 15 बिस्वा में 1/16 हिस्सा अंकित है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में वादी सं.2 कुन्दन के दो अन्य भाईयों के शपथ पत्र भी उसके कब्जेकाश्त के समर्थन में पेश किये गये है। इस प्रकार जिस साबिक खसरा नंबर 109 मिन के बाबत् अनुतोष चाहा गया है उसमें फूसा के पुत्रगण खेमचंद व उमराव तथा प्रभाती के दो अन्य पुत्रगण को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाना प्रकरण को पूर्ण रूपसे संदिग्ध बनाता है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों का प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल के सबंध में समुचित विश्लेषण नहीं किया गया है। साबिक खसरा नंबर 109 के हाल खसरा नंबर 732, 735/996, 845/1020, 859 निर्मित होना बताते हुये रेस्पोडेंट वादीगण को वादीगण के पूर्वजों एव उनके निरंतर कब्जेकाश्त को आधार बनाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया है। परंतु नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा नंबर 732 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 109 मिन, 253 मिन, 254 मिन, 255 मिन से बना है तथा जो खसरा परिवर्तनशील के नक्शें पेश किये है उसमें निरंतर कब्जाकाश्त प्रमाणित नहीं है। हाल खसरा नंबर 845/1020 साबिक खसरा नंबर 109 मिन से नहीं बना है। केवल पट्टी गंगासहाय से अपने को जोडना बताया किंतु इससे सबंधित कोई भी दस्तावेज वाद में प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील की नकले सभी हाल खसरा नंबर की नहीं है। सभी खसरा नंबरों पर अलग अलग समय में अतिक्रमण अलग अलग व्यक्तियों का दर्शाया गया है। किसी एक व्यक्ति का लगातार अतिक्रमण अथवा कब्जाकाश्त होना प्रस्तुत नकल परिवर्तनशील से स्पष्ट नहीं है। हाल राजस्व रिकोर्ड में विवादित आराजी सिवायचक सरकारी मिल्कियत

दर्ज रिकोर्ड है। वादीगण द्वारा वाद में अंकित किया कि विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज काबिजकाश्त थे कितु इस सबंध में वादीगण द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई। वाद में अंकित खसरा नंबर के नये हाल नंबरों में भिन्नता है। जमाबंदी संवत् 2023 अनुसार 109 मिन 3.18 बीघा, 109 मिन 44 बीधा, 109 मिन 36.02 बीघा चारागाह गोचर भूमि दर्ज रिकोर्ड है तथा उक्त आराजी के ही हाल खसरा नंबर कायम हुये होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जो अब सिवायचक दर्ज है। ना ही वादीगण ने उक्त हाल खसरा नंबर पर लगातार काबिजकाश्त होने का प्रमाण पेश किया है।

10— जमाबंदी संवत् 2011 के अंकन को आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। वादीगण का वाद सिद्ध न होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ तनकीवार उसका वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र कयास एवं बिना साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर बिना तनकीवार वादी की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4—2—04 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी कोटकासिम द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1—9—03 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य